धौलपुर

23.2.17	वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रारम्भ सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 404 रकबा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 406 रकबा 8 बिस्वा वाकै ग्राम पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर के खातेदार काश्तकार है। ग्राम पुरानी छावनी के राजस्व नक्शे मे प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 406 का अंकन नहीं हो ~~पा रहा~~ रहा है। नक्शे में आराजी खसरा नम्बर 404, 405 व 406 का सीमांकन होकर आकृतियां बनी हुई है। प्रार्थी की आराजी 404 के बगल में खसरा नम्बर 405 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन कुआ जो ~~कि~~ त्रिकोनी आकृति का बहुत ही छोटा नम्बर है जिसके कि खसरा नम्बर का अंकन किया जाना सम्भव नहीं ~~है~~ था। शायद इस कारण उक्त खसरा नम्बर का अंकन बगल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 406 में हो गया और 406 का अंकन राजस्व नक्शे में नहीं हुआ। राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 406 का अंकन नहीं होना सहवाती व मानवीय भूल है दुरुस्त किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नम्बर 404 के बगल में स्थित त्रिकोणी आकृति में खसरा नम्बर 405 का अंकन व जिस आकृति में 405 का अंकन है उसे कलमजद कर खसरा नम्बर 406 का अंकन कराये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया। तहसीलदार धौलपुर के पत्रांक 329 दिनांक 11.2.2024 से बताया कि DILRMP योजना के अन्तर्गत नक्शे की वन टू वन मैपिंग के दौरान खसरा नम्बर 404, 405 के बगल में बिना नम्बर आकृति में 406 का इन्द्राज कर दिया गया है। उक्त आराजी खसरा नम्बर ग्राम आबादी से लगा हुआ है। वकील प्रार्थीगण ने तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण निस्तारण किये जाने की सहमति जाहिर की। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष उन्हें DILRMP योजना के अन्तर्गत नक्शे की वन टू वन मैपिंग द्वारा प्राप्त हो चुका है अतः प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र इसी आधार पर निस्तारित	

हुक्म

किया जाता है। मय नकल फैसला शुमार होकर बाद तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)

र्थन